श्रीमती लक्ष्मीबाई

बनाम

कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम, बैंगलोर

11 मई, 2001

[डी. पी. मोहपात्र और शिवराज वी. पाटिल, न्यायाधिपतिगण]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 : कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम - तेज गति ओर लापरवाहीसे पर चलाई जाने वाली बस - पत्थर फेंकने के कारण दरवाजे का शीशा टूटना - एक यात्री की आंख में टूटे कांच के टुकड़े से चोट लगना - दृष्टि अक्षमता - दावा - अपीलार्थी के मामले का समर्थन करने वाले मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य - प्रतिवादी निगम ने अपने कब्जे में दस्तावेजी साक्ष्य को रोका - न्यायाधिकरण ने एक निष्कर्ष निकाला कि बस दुर्घटना में शामिल थी और मुआवजा प्रदान किया - उच्च न्यायालय ने पंचाट को अपास्त करते हुए और यह अभिनिर्धारित करते हुये कि बस दुर्घटना में शामिल नहीं थी - सुप्रीम कोर्ट के समक्षअपील - न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष दर्ज करने में काफी न्यायसंगत माना कि बस दुर्घटना में शामिल थी - उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण तकनीकी था और सबूतों की सराहना करने में दबाव गलत था क्योंकि यह ठीक था - उच्च न्यायालय

के निर्णय को आक्षेपित किया जाता है - न्यायाधिकरण का निर्णय और पंचाट पुर्नस्थापित किया जाता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 3868/2001

(एमएफए संख्या 2873/1997 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 30.11.99 से)

वी. एन. रघुपति, अपीलार्थी के लिए।

पी. आर. रामासेश, प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

अनुमति स्वीकार की गई।

यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और पंचाट के खिलाफ प्रस्तुत की गई है और दावेदार यहां अपीलार्थी है। अपीलार्थी दिनांक 26.2.1989 को केएसआरटीसी बस नंबर सीएएफ 3590 में यात्रा कर रहा था। बस को तेज गति से और जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया गया था। जब बस निंगदहल्ली गांव पहुंची, सड़क पर एक गड्ढे से गुजरी, तो अपीलार्थी की दाहिनी आंख में चोट लग गई क्योंकि खिडकी के शीशे का एक टूटा हुआ टुकड़ा उसकी आंख में लग गया, जिसके

परिणामस्वरूप उसकी आंख में 35 प्रतिशत तक दृष्टि अक्षमता हो गई। उसने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति की मांग करते हुये एक दावा याचिका दायर की थी। न्यायाधिकरण द्वारा 53,500/- रूपये मय 9 प्रतिशत की दर से ब्याज स्वीकार करते हुये एक पंचाट पारित किया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा अपील पर, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय के जरिये न्यायाधिकरण द्वारा पारित पंचाट को अपास्त कर दिया। इसलिये यह अपील है।

न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी का बचाव यह था कि उक्त बस घटना में बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। जिसमें अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष दर्ज किया गया था कि बस घटना में शामिल थी। उच्च न्यायालय के समक्ष एकमात्र सवाल जो विचार के लिए आया था वह यह था कि क्या मोटर दुर्घटना लगाये गये आक्षेपो के अनुसार घटित हुई थी।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि न्यायाधिकरण; साक्ष्य के आधार पर, अपीलार्थी के मामले के समर्थन में प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य और प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य को रोकना, में यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि बस दुर्घटना में शामिल थी; उच्च न्यायालय ने तकनीकी और बारीकियों पर अनुचित जोर दिया और गलत निष्कर्ष पर पहुंचा कि बस दुर्घटना में शामिल नहीं

थी। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने विवादित फैसले का समर्थन करते हुए तर्क दिये।

अपीलार्थी (पीडब्लू-1) एक रामचंद्र गांधले (पीडब्लू 3), एक स्वतंत्र गवाह, जो उक्त बस में यात्रा कर रहा था, ने दावे के समर्थन में कहा है। प्रदर्श पी/4 जो केस-शीट है, जिससे पता चलता है कि अपीलार्थी को 27/2/1989 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रकरण की केस-शीट की हिस्ट्री जो निम्न प्रकार से पठनीय है:

"बस में यात्रा करते समय, पत्थर फेंकने से बस के दरवाजे का शीशा टूट गया और दो दिन पहले दाहिनी आंख में कांच के टुकड़े गिर गए।"

न्यायाधिकरण ने पाया कि प्रत्यर्थी ने लॉग-शीट और नियंत्रण चार्ट की प्रतियां पेश नहीं कीं ताकि यह दिखाया जा सके कि दुर्घटना की तारीख को उस सड़क पर बस नहीं चलाई गई थी और उक्त बस शामिल नहीं थी। इस प्रकार साक्ष्य की उचित सराहना पर, न्यायाधिकरण यह निष्कर्ष दर्ज करने में काफी न्यायसंगत था कि उक्त बस दुर्घटना में शामिल थी, लेकिन हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, साक्ष्य की सराहना करने मे और तकनीकी और अच्छाईयो पर जोर देने में गलत था।

जब अपीलार्थी के मामले का समर्थन करने वाले मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों थे, जिसे न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, तो हमारे विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से न्यायाधिकरण के निर्णय और पंचाट को उलटने में एक त्रुटि की गई थी,

विशेष रूप से जब प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य को अपने कब्जे में रोक लिया गया था। उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति की मात्रा का संबंध है, से सहमत रहा है। इस प्रकार हम विवादित निर्णय को बनाए रखना मुश्किल पाते हैं। परिणामत: हम इसे अपास्त करते है ओर न्यायाधिकरण के निर्णय ओर पंचाट को बहाल करते हैं। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। कोई खर्चा नहीं।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।